शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई

जिला : कबीरधाम (छ.ग.)

विवरण पत्रिका

E-mail : pandataraigovtcollege3@gmail.com

Website : govtnaveencollegepandatarai.in

।। ज्ञानम् सर्वजन हिताय ।।

भविष्य में महाविद्यालय का नाम

श्री जालेश्वर महादेव महाविद्यालय

प्रस्तावित है।

प्राचार्य की लेखनी से...

छात्रों, सबसे पहले अपने अंदर के डर को निकाल दीजिये। महाविद्यालय में अध्ययन के अलावा और बहुत सी गतिविधियाँ होती है, जिसमें अपने आप को एक लीडर के रुप में बेहतर रुप से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में एक बेहतरीन Leader बन सकते हैं। Leadership का कोई Common Formula नहीं होता। विभिन्न Leaders की अपनी-अपनी सोच एवं शैली होती है। College की पढ़ाई के दौरान आप अपनी पहचान बनाये एवं Leadership Role की सुदृढ़ आधारशिला रखने के लिए कई प्रकार के प्रयास कर सकते है। इन प्रयासों से आपके व्यक्तित्व विकास को भी अधिक बल मिलेगा।

मेहनत करने के लिए कमर कस लें। दूसरों से बेहतर होने के लिए आपको दूसरों से बेहतर बनना पड़ेगा। इसके लिए स्वयं पर अनुशासन, बेहतर बनने की प्रबल इच्छा और मेहनत द्वारा अधिक प्रयास आवश्यक है। लीडर्स की जीवनियां पढ़ें या अपने संपर्क में आए कामयाब व्यक्तियों के जीवन से सीख लें, कुछ विशेषताएं तो अवश्य ही एक जैसी दिखेंगी - आत्मविश्वास, ईमानदारी, लक्ष्य पाने का हठ तथा दूसरों एवं कार्य के प्रति उत्तरदायित्व। आपके संग चलने वाले भी इसे समझते हैं और इसकी अपेक्षा रखते हैं।

सकारात्मक Action करें College की दिनचर्या में भी आप प्रतिदिन अपनी Ledership की सकारात्मक Practice कर सकते हैं जैसे - Class को सुचारु रुप से चलाने में Faculty की मदद करना, College के विभिन्न Functions में भाग लेना, College की सभी Activities की जिम्मेदारी लेना और अपने साथियों संग मिलकर उसे सुचारु रुप से पूरा करना, दूरी बना के रखने की अपेक्षा Co-Operative Approach का प्रयोग करना, College के अन्य मित्रों से मिलकर अपने शहर की विभिन्न Activities में सकारात्मक योगदान देना जैसे Blood Donation Camps, प्रौढ़ शिक्षा, शहरी रख-रखाव, स्वच्छता एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण का सृजन इत्यादि। दूसरे के व्यक्तित्व निर्माण में भी मदद करें, अपने High Degree Energy, Positive Attitude, विनम्रता, सही समय सही प्रयास करने की इच्छाशक्ति, इत्यादि काफी हद तक दूसरों के समक्ष अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरों से निरंतर सीखें - आपके Teachers, Relatives, परिचित एवं मित्र भी आपकी प्रेरणा का स्त्रोत हो सकते हैं। अपने ज्ञान चक्षु हमेशा खुले रखें।

शुभकामनाओं सहित....।

Dr. Avinash Kumar Lall
Principal

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय... एक परिचय

ग्रामीण अंचल में उच्च शिक्षा हेतु स्थापित 28 जून 2011 को शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई रोपित हुआ, जो शनैः-शनैः अपने विकास के मार्ग में कबीरधाम जिले में अपनी पृथक पहचान बनाता जा रहा है। अनुशासनहीनता और रैगिंग शून्यता के वातावरण में इस महाविद्यालय का उत्तरोत्तर विकास न केवल तीनों संकाय क्रमशः कला, विज्ञान और वाणिज्य परीक्षाफल के अच्छे परिणाम लेकर, अपितु साहित्यिक, साँस्कृतिक, क्रीड़ा और सत्र 17-18 में आरंभ हुए एन.एस.एस. में नए आयाम गढ़ रहा है।

स्मार्ट क्लास का नया कलेवर जहाँ आधुनिक शिक्षा उपकरण के द्वारा समय-समय पर छात्रों को विद्वानों, विषय विशेषज्ञों तथा अन्य क्षेत्रों में विभूषित कौशल के धनी अतिथियों के द्वारा दिशा-निर्देश व ज्ञान परोसा जाता है, इस क्लास में 250 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। स्मार्ट क्लास में ही महाविद्यालय के प्राध्यापकों के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं तथा नैतिक शिक्षाओं पर भी पूर्ण मनोयोग से विद्यार्थियों को गढ़ने के लिए एकजुटता के साथ उनकी ऊर्जा को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है।

शुद्ध एवं शीतल जल, छात्राओं के लिए कॉमन रुम, भविष्य में मंत्री महोदय के द्वारा घोषित खुलने वाले विषय क्रमशः एम.एस.सी. रसायन शास्त्र के लिए उन्नत प्रयोगशाला, बी.सी.ए. के लिए कम्प्यूटर लैब जहाँ 15 कम्प्यूटर सुव्यवस्थित हैं तथा एम.ए. राजनीति शास्त्र हेतु विषय के विद्वतजन उपलब्ध हैं।

ग्रंथालय में विषय संबंधी पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें व 6 दैनिक समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, जिसका अध्ययन कर विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्धारण कर रहें हैं।

सत्र 2018-19 से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के द्वारा 'यूथ रेडक्रॉस सोसायटी' की नई इकाई प्रारंभ हो चुकी है, जिसके सभी नियमित छात्र-छात्राएं सदस्य रहेंगे, इसके द्वारा पीड़ित और जरुरतमंद को विश्व का सबसे बड़ा और पावन दान रक्तदान हेतु प्रेरणा मिलेगी तथा जो छात्र-छात्रा रक्तदान करेंगे, उन्हें महाविद्यालय द्वारा सम्मानित किया जायेगा।

सत्र 2017-18 से महाविद्यालय में नई और अनूठी पहल 'महाविद्यालयीन पत्रिका - स्पंदन' का प्रकाशन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा अपने विचारों को अद्भुत ढंग से व्यक्त किया गया, महाविद्यालयीन स्टाफ के द्वारा भी लेख, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कुलपति, स्थानीय विधायक, जनभागीदारी अध्यक्ष के आशीर्वचन के साथ 'स्पंदन' सभी नियमित छात्रों के हाथों में जाने को तैयार है।

शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियमावली

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्ददर्शक (2018-19 के लिए शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा।)

1. प्रवेश की तिथि

1.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना : (महाविद्यालय में उपलब्ध सूचनानुसार)

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये स्थाई एवं अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों हित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिनन कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी। प्रवेश बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न कियेजाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन-पत्र जमा किये जावें।

1.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा प्रणिाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथववा वि.वि. / बोर्ड द्वारा परीक्षापरिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5:1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियसों के स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में प्रवेश दिया जायेगा।

2. प्रवेश की पात्रता

2.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

क) छत्तीसगढ़ के मूल / स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी / राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनपों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है। उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पवर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख) सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से र्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

2.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क) 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

ख) स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

3. समकक्ष परीक्षा

3.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंशिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मां.शि.म. की 10+2 परीक्षा समकक्ष मान्य

Scanned with CamScanner

है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त करते हैं।

3.2 सामान्यतः भारत में स्थित वि.वि. जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उसमानिया एवं काकतिया विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए. / बी.कॉम. डायरेक्ट वन सीटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

3.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संथाओं, जिनकी परीखा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

4. बाह्य आवेदकों का प्रवेश

4.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. / बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किनतु सम्बद्ध वि.वि. / स्वाशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

4.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यलायों / स्वाशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्विद्यालयों / स्वाशासी महाविद्यालयों की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की गली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

5. अस्थायी प्रवेश पात्रता

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

5.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य किया जायेगा।

6. प्रवेश हेतु अर्हताएं

किसी भी महाविद्यालय / वि.वि. शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कखा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

6.2 जिनके विरुद्ध न्न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो / या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियां के साथ दुव्यवहार / मारपीट करने के गंभीर हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नपहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

6.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले / रैंगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र / छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

Scanned with CamScanner

6.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एं जुलाई के आधार पर की जावेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन में महिला छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रतयाशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश अध्ययन हेतु भेज गए छात्रों अथवा से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू ही होगा।

ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़े वर्ग एवं विकालंग विद्यार्थियों / महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

6.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

7. आरक्षण -

छ.ग. शसन की आरण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा :-

7.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीओं का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इदसका विस्तार निम्नलिखित रीति होगा, अर्थात् :-

क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मेस 32 % सीटे के लिए ST आरक्षित रहेंगी।

ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मेस 12 % सीटे के लिए SC आरक्षित रहेंगी।

ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मेस 14 % सीटे के लिए OBC आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो उसे नियमानुसार भरा जावेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड क, ख तथा ग के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो उसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

7.2 (1) बिन्दु क्र. 8.1 के खण्ड क, ख, तथा ग, के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण अर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्रं. 8.1 के खण्ड क, ख तथा ग, के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

7.3 स्वतंत्रता संगाम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा 3 विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये नियमानुसार स्थान आरक्षित रहेंगे।

7.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

7.5 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

7.6 कंडिका 8.1 में दर्शायी गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्ययीन रहेगा।

Scanned with CamScanner

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों के विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। जिन छात्रों की उपस्थिति 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत से कम होगी उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश समय-समय पर अपनी उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ संबंधित प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर जानकारी लेना चाहिये। उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थियों या उनके पालकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायी नहीं है। आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना आवश्यक होगा।

संस्था छोड़ने हेतु नियम

यदि कोई दात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

1. संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।
2. समस्तज शुल्कों को जमा करना होगा।
3. उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।
4. महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।
5. निःशेष प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र या आचरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 10/- जमा करना होगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान

छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय की छात्रों द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुबाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्ष्झम है, अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दंड का प्रावधान है जो रैगिंग करने वाले/छात्र/छात्राओं पर भी लागू होगा :-

1. निलंबन 2. निष्कासन 3. रेस्टीकेश्न 4. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होन से रोकना।

विश्वविद्यालय नामांकन :- (नवीन छात्र/छात्राओं हेतु अनिवार्य)

प्रवेश उपरान्त तुरन्त विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन पत्र भरकर 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची (सत्यापित) के जमा करें। नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म रविशंकर वि.वि. के ऑनलाईन करना होगा।

शुल्क विनिमय

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा।
2. एक बार सिकी छात्र महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरी सत्र का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें।
3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।
4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरुप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के द्वारा जमा

Scanned with CamScanner

कि जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालय शुल्क भी जमा करना होगा। यदि आवश्यक हुआ तो।

महाविद्यालय स्तर पर गठित समितियाँ

1. आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन समिति
2. कैश बुक एवं डी.एफ.सी. जांच कार्य समिति
3. महाविद्यालय विकास एवं सम्मिलित निधि समिति
4. आंतरिक मूल्यांकन समिति
5. छात्रवृत्ति समिति
6. क्रीड़ा एवं खेलकूद समिति
7. क्रय समिति
8. अपलेखन समिति
9. एंटी रैगिंग कमेटी
10. अनुशासन समिति
11. नैक / IQAC समिति
12. पर्यावरण संरक्षण समिति
13. छात्र संघ / छात्र कल्याण समिति
14. परीक्षा संचालन / प्रवेश समिति
15. सांस्कृतिक / साहित्यिक कार्यक्रम समिति
16. शिकायत निवारण समिति एवं महिला उत्पीणन प्रकोष्ठ
17. ग्रंथालय समिति
18. स्टोर भौतिक सत्यापन समिति
19. RUSA समिति
20. UGC समिति

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिय आचरण - संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भीगीदार होगा।

1. विद्यार्थी **शालीन वेशभूषा** में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठयेत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. माहवद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मित्तव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है।

8. असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

9. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लगा।

10. **महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।**

Scanned with CamScanner

रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय कये आदेश दिनांक 27.11.2006 संदर्भ एल.एस.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय प्राचार्य की परिषद तथा एल.एल.पी. क्र. 24296-24299/2004 डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :-

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित किया जा रहा है।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में होने वाली किसी घटना के लिये लागू होंगे। परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथवा इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा।

(अ) शारीरिक अथवा इनमें से एक व्यवहार अथ्ज्ञवा कार्य शामिल होगा।

(ब) मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुंचाना, छेड़ना, अपनामित करना, डांटना।

(स) अश्लील अपमान जैसे असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना।

(द) सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा नियंत्रित तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार जैसे हुल्लड़ मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि।

4. एसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय के प्राचार्य को अथवा विशविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित प्राक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे। इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रुप में प्राचार्य/कुलपति द्वारा मनोनित किये जायेंगे। इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशेष बैठक आहूत की जायेंगी। बैठक की सूचना, सूचना बोर्ड में मनोनित वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी। यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे।

5. पॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुयशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे।

6. प्रॉक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा।

1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन।

2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।

3. दोषी छात्र को दंड के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। यह अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा।

4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विशविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी भी घटना को विस्तृत जांच संस्थित करने का पूर्ण अधिकार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य / कुलपति की सहमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस की सुपुर्द करने का अधिकार प्राचार्य / विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा। इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करवाना आवश्यक होगा।

======== 000 ========

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में इसी सत्र से राष्ट्रीय सेवा योजना की 50 स्वयं सेवकों की नई इकाई की गयी है, जिसमें 100 छात्र-छात्राओं ने अपना पंजीयन कराया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत दैनिक गतिविधियों में स्वच्छता, साक्षरता अभियान, विधिक साक्षरता, मतदाता जागरुकता अभियान, रक्त परीक्षण शिविर एवं हमारे महापुरुषों की जन्म एवं पुण्यतिथियों को मनाना आदि दैनिक गतिविधियों एवं दिवा शिविरों के आयोजन किए गए।

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा ग्राम चकरभाठा कला को गोद ग्राम हेतु चयनित कर वहीं एक दिवा शिविर एवं सात दिवसीय विशेष शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जहाँ स्वयं सेवकों द्वारा स्वच्छता, साक्षरता अभियान, मतदाता जागरुकता संबंधी प्रेरक कार्य सफलतापूर्वक किये गए।

शारीरिक शिक्षा विभाग

महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा के उद्देश्य के अनुसार खेल-कूद को शिक्षा का अनिवार्य अंग मानकर महत्व दिया जाता है। पण्डातराई ग्रामीण अंचल में खिलाड़ी पाये जाते हैं, बस उन्हें निखारने की आवश्यकता है और यह कार्य महाविद्यालय का यह विभाग पूर्ण मनोयोग से करता है।

उत्कृष्ट खिलाड़ी युवाओं के आदर्श होते हैं, और सभी युवाओं में यह हुनर होता है। महाविद्यालय हुनर को पहचान कर उन्हें गति प्रदान करता है। खेल-कूद से शरीर चुस्त और फूर्तीला बना रहता है, सारे तनावों को भुलाकर मन जब खेल में रम जाता है, तो व्यक्ति जीवन के दु:ख-दर्द भूल जाता है। इस प्रकार खेल तनावमुक्त कर हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

महाविद्यालयीन परिवार

डॉ. अविनाश कुमार लाल
प्राचार्य एवं संरक्षक

डॉ. अविनाश कुमार लाल राजनीति विज्ञान विभाग	डॉ. डी.पी. चन्द्रवंशी हिन्दी विभाग	डॉ. मुकेश त्यागी रसायन शास्त्र विभाग
श्री सुरेश सिंह कंवर समाज शास्त्र विभाग	श्री शिवराम सिंह श्याम (एक पद रिक्त) वाणिज्य विभाग	अंग्रेजी विभाग पद रिक्त
इतिहास विभाग पद रिक्त	जन्तु विज्ञान विभाग पद रिक्त	वनस्पति विज्ञान विभाग पद रिक्त
श्री रामचन्द्र कुम्भकार सहायक ग्रेड - 03	श्री दीपक कुमार गुप्ता प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री संतोष कुमार साहू प्रयोगशाला परिचालक
श्री अभिषेक गुप्ता प्रयोगशाला परिचालक	श्री दिनेश कुमार राज भृत्य	श्री विनय कुमार शर्मा भृत्य
श्री लुकमान खान कम्प्यूटर ऑप. (जनभागीदारी)	श्री सुखचैन ध्रुव फर्राश (जनभागीदारी)	श्री जीतराम चन्द्रवंशी चौकीदार (जनभागीदारी)

महाविद्यालय में कक्षावार रिक्त स्थानों व विषय की सूची

(हेमचन्द यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध)

क्र.	कक्षा (संकाय)	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1	2	3	4
1.	कला संकाय (बी.ए.) 1, 2, 3 रिक्त स्थान - 140	हिन्दी भाषा अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन	राजनीति शास्त्र इतिहास समाज शास्त्र हिन्दी साहित्य (इनमें से कोई तीन लेना है)
2.	विज्ञान संकाय (बी.एस.सी.) 1, 2, 3 रिक्त स्थान - 120	हिन्दी भाषा अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन	प्राणी शास्त्र रसायन शास्त्र वनस्पति शास्त्र
3.	वाणिज्य संकाय (बी.कॉम.) 1, 2, 3 रिक्त स्थान - 60	हिन्दी भाषा अंग्रेजी भाषा पर्यावरण अध्ययन	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य विषय

Scanned with CamScanner

महाविद्यालयीन झलकियाँ...

महाविद्यालय-परिवार

Scanned with CamScanner

मूल्य 40 रुपये

आवेदन पत्र क्रमांक ....970....

सत्र 20 -20

प्रवेश क्रमांक ....

शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई

जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

संकाय ---------------------------------- कक्षा ----------------------------

आवेदक का नाम (हिन्दी में) --

अंग्रेजी में (बड़े अक्षर में) --

जन्मतिथि (अंको में) ------------------------ (शब्दों में) --------------------

पिता/पति का नाम श्री --

माता का नाम श्रीमती --

आधारकार्ड नम्बर --

ई-मेल --

कलर
पासपोर्ट साइज
नवीनतम फोटो

जाति, ------------------------------ वर्ग (अ.ज.जा./अ.पि./सामान्य) ----------------------------------

थर्ड जेन्डर हां----------------- नहीं ---------------------- रक्त समूह ------------------------------

आवेदक जो विषय लेना चाहता है, उसका विवरण (एक बार चयन किया गया विषय परिवर्तन नही होगा।)

(अ) अनिवार्य विषय :- 1. ------------------ 2. -------------------- 3. ---------------

(ब) वैकल्पिक विषय :- 1. ------------------ 2. -------------------- 3. ---------------

पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का नाम एवं संकाय --------------------------- वर्ष ----------- कुल अंक -----------

प्राप्तांक ---------------------------- प्रतिशत --------------------------- श्रेणी ----------------------

पूर्व अध्ययनरत संस्था का नाम ----------------------------- वि.वि./बोर्ड का नाम ---------------------

पता : 1. वर्तमान पता ---

2. स्थायी पता ---

दूरभाष नं. ----------------------------------- मोबाईल : --------------------------------------

पिता/पालक का नाम एवं हस्ताक्षर

मो. नं. : ----------------------------

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ---------------------------

Scanned with CamScanner

सभी छात्र/छात्राओं के लिये -

क्र.	कक्षा	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	छात्र अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करें	चेक लिस्ट
1.	हाई स्कूल (10वीं)			
2.	10 + 2 हायर सेकण्डरी			
3.	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.सी.ए. भाग एक			
4.	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.सी.ए. भाग दो			
5.	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.सी.ए. भाग तीन			
6.	एम.ए. पूर्व/ एम.एस.सी. पूर्व / एम.कॉम. पूर्व			

छात्र लिपिक का हस्ताक्षर

पाठयेत्तर गतिविधि :-

1. खेल कूद

नाम ---------------------- स्तर ---------------- वर्ष ---------------- (छायाप्रति संलग्न करें।)

नाम ---------------------- स्तर ---------------- वर्ष ---------------- (छायाप्रति संलग्न करें।)

2. साहित्यिक/सांस्कृतिक

नाम ---------------------- स्तर ---------------- वर्ष ---------------- (छायाप्रति संलग्न करें।)

नाम ---------------------- स्तर ---------------- वर्ष ---------------- (छायाप्रति संलग्न करें।)

3. एन.एस.एस. --

4. एन.सी.सी. ---

5. स्काऊट ---

6. अन्य ---

विशेष सूचना

1. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति स्व हस्ताक्षरित संलग्न करें। समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2. प्रवेश के समय निर्धारित घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। घोषणा पत्र में पिता/पालक का भी हस्ताक्षर होना है, इसलिये प्रवेश के समय पिता/पालक के साथ स्वयं उपस्थित होवें।

Scanned with CamScanner

– प्रवेश समिति की अनुशंसा –

उपरोक्त कक्षा एवं विषयों में अस्थाई प्रवेश हेतु स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक -----------------------

संयोजक प्रवेश समिति

प्रवेश समिति की अनुशंसा पर आवेदक को अस्थायी प्रवेश दिया जाता है / प्रवेश आवेदन-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक --------------------------

टीप : महाविद्यालय परिसर में किसी भी छात्र/छात्राओं को रेगिंग करते हुये पाये जाने पर संबंधित छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जायेगा तथा शासन के नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई

आवेदन फार्म के साथ प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

1. पिछले विद्यालय/महाविद्यालय/विश्व विद्यालय छोड़ने का मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
2. छात्र/छात्राओं के लिये पासपोर्ट साइज के फोटो की दो प्रति लायें।
3. पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची की स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति।
4. निवास प्रमाण-पत्र यदि स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में तीन वर्षो तक छ.ग. से अध्ययन का उल्लेख हो तो इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. जाति प्रमाण-पत्र/विकलांगता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
6. शासकीय कर्मचारी के बच्चों को शासकीय कर्मचारी होने के प्रमाण-पत्र (द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) संलग्न करें।
7. छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालय/बोर्ड अथवा प.र.वि.वि. को छोड़कर अन्य वि.वि. की परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करना होगा।
8. पाठ्येत्तर गतिविधि संबंधी प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।
9. प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी को 10 वीं तथा 12 वीं एवं अन्य छात्रों को समस्त पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची संलग्न करना होगा।
10. परिचय पत्र का प्रोफार्मा अनिवार्यतः भरें। परिचय पत्र गुम हो जाने पर या खराब हो जाने पर द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिये 25/- रू. लगेगा।
11. उक्त अनिवार्य समस्त प्रमाण पत्र, अंकसूची की मूल प्रति प्रवेश प्रक्रिया के समय प्रवेश संयोजक समिति के समक्ष प्रदर्शित करें।

प्राचार्य

Scanned with CamScanner

वचन पत्र

मैं .... पिता/पति का नाम ....

माता का नाम .... कक्षा .... घोषणा करता/करती हूं कि मुझे ज्ञात है, कि रैगिंग न केवल अपराध है, बल्कि मानव अधिकार का हनन भी है। मैं इस प्रकार के किसी कृत्य में शामिल नहीं रहूंगा/रहूंगी। मुझे रैगिंग के संदर्भ में दी जाने वाली सजा की जानकारी है, और यदि मैं रैगिंग की घटना में शामिल पाया/पायी जाती हूँ तो मैं दण्ड का भी भागी रहूंगा/रहूंगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि महाविद्यालय में विषयवार मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से ज्यादा रहेगा/रहेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि महाविद्यालय की संपत्ति को नुकसान (तोड़-फोड़) नहीं करूंगा/करूंगी। यदि करता हूं/करती हूं तो क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करूंगा/करूंगी।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी कृत्य में शामिल नहीं होगा/होगी। मुझे रैगिंग में दी जाने वाली सजायें ज्ञात है, यदि मेरा पाल्य रैगिंग के किसी प्रकरण में लिप्त पाया जाता/जाती है, तो उसको दी जाने वाली सजा से मैं सहमत रहूंगा/रहूंगी। मेरे पाल्य की विषयवार उपस्थिति 75 प्रतिशत से ज्यादा रहेगा/रहेगी।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

टीप - यदि अभिभावक के हस्ताक्षर सही नहीं पाये गये तो छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, जिसके लिये छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मदार होगा।

Scanned with CamScanner